



2026:AHC:128922

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 19907 वर्ष 2026

राहुल

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : राम कृष्ण मिश्रा

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए. (राज्य अधिवक्ता)

न्यायालय संख्या 71

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।
2. यह तत्कालिक जमानत आवेदन थाना- शिकारपुर, जिला बुलंदशहर में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 457/2025, धारा 103(1), 238, 61(2), 3(5), 115(2), 140(1) बी.एन.एस. के अंतर्गत आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने के अनुरोध के साथ दाखिल किया गया है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक निर्दोष है और उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। दिनांक 28.11.2025 की एफ.आई.आर. में आवेदक नामजद नहीं है। आवेदक और अन्य सह-अभियुक्तों विवेक, दिलशाद, विक्की का नाम सह-अभियुक्त मनीष के इकबालिया बयान में प्रकाश में आया। आगे यह तर्क दिया गया है कि सह-अभियुक्त का इकबालिया बयान साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है और समान स्थिति वाले सह-अभियुक्त दिलशाद को इस न्यायालय की एक समकक्षी पीठ द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 19479/2026 में पारित आदेश दिनांक 05.06.2026 के माध्यम से जमानत पर रिहा किया जा चुका है। आवेदक को इससे पहले मुकदमा अपराध संख्या 704/2015, धारा 60 आबकारी अधिनियम में फंसाया गया था, जिसमें विचारण न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 07.09.2015 के माध्यम से जमानत दे दी गई थी, उक्त आदेश की प्रति आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत की गई है, जिसे अभिलेख पर लिया जाता है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता आगे तर्क देते हैं कि आवेदक 28.11.2025 से जेल में बंद है और यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण में सहयोग करेगा।
4. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक को जमानत दिए जाने की प्रार्थना का विरोध किया और कहा कि अपराध में आवेदक की संलिप्तता के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं, इसलिए वह जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है।
5. मैंने पक्षों के परस्पर तर्कों पर विचार किया है और अभिलेख का अवलोकन किया है।
6. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए परस्पर तर्कों, आरोपों की प्रकृति, अभिलेख पर लाए गए साक्ष्यों, आवेदक द्वारा काटी गई कारावास की अवधि, किसी भी आपराधिक इतिहास

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



की अनुपस्थिति पर विचार करते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय पाता है कि आवेदक ने जमानत पाने का आधार प्रस्तुत किया है।

7. तदनुसार, जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

8. आवेदक- **राहुल**, जो उपर्युक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त है, को संबंधित न्यायालय के संतोष के अनुसार व्यक्तिगत बंधपत्र और उतनी ही धनराशि के दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिहाई का आदेश जारी करने से पहले जमानतदारों का सत्यापन किया जाए।

(i) आवेदक इस आशय का एक वचन पत्र प्रस्तुत करेगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित होंगे, तो वह साक्ष्य के लिए तय की गई तिथि पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, विचारण न्यायालय के लिए इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए कानून के अनुसार आदेश पारित करने का विकल्प खुला रहेगा।

(ii) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष प्रत्येक नियत तिथि पर या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, विचारण न्यायालय धारा 229-ए आई.पी.सी. / 269 बी.एन.एस. के अंतर्गत उसके खिलाफ कार्यवाही कर सकता है।

(iii) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 सी.आर.पी.सी. / 84 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है, और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय धारा 174-ए

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



आई.पी.सी. / 209 बी.एन.एस. के अंतर्गत कानून के अनुसार उसके खिलाफ कार्यवाही शुरू करेगा।

(iv) आवेदक (1) मामला खोलने, (2) आरोप तय करने और (3) धारा 313 सी.आर.पी.सी. / 351 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत बयान दर्ज करने के लिए तय की गई तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या बिना किसी पर्याप्त कारण के है, तो विचारण न्यायालय के लिए ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्यवाही करने का विकल्प खुला रहेगा।

9. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।
10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने में की गई टिप्पणियां गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में विद्वान विचारण न्यायाधीश को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेंगी।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

23 जून, 2026

कीर्ति

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”